न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण सं. 04 / 2024
स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, नोहर

प्रार्थी

बनाम

मो0 मुश्ताक पुत्र साहबदीन निवासी वार्ड नं0 27, साहवा रोड़, बस स्टैण्ड के पास, दो भाई चिकन हाउस के पास, नोहर तह0 नोहर जिला हनुमानगढ।

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः— 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 श्री अमिताभ सैनी अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः —12.03.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी नोहर द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.03.2024 को श्रीमती भार्गवी सांदु, तहसीलदार नोहर तथा बाबूलाल जानू, प्रवर्तन अधिकारी, नोहर द्वारा नोहर शहर में वार्ड नं. 27, साहवा रोड़ बस स्टैण्ड के पास स्थित एक घर में डीजल—पेट्रोल के बेचान की सूचना पर मौके पर पहूंच कर जांच की गई। मौके पर घर के बाहर खड़े व्यक्ति ने स्वयं का नाम मो. मुश्ताक पुत्र श्री साहबदीन होना बताया तथा उक्त घर का मालिक होना बताया। मो. मुश्ताक पुत्र श्री साहबदीन ने मौके पर उपस्थित रहकर जांच करवाई। घर में स्थित एक कमरे में पेट्रोल—डीजल रखा पाया गया। जांच किये जाने पर प्लास्टिक के एक बड़े ड्रम में 210 लीटर डीजल, प्लास्टिक के छोटे ड्रम में 50 लीटर डीजल, प्लास्टिक के एक छोटे ड्रम में 100 लीटर पेट्रोल, प्लास्टिक के एक छोटे ड्रम में 15 लीटर पेट्रोल, प्लास्टिक की छोटी—बड़ी 21 बोतलों में 22 लीटर पेट्रोल पाया गया। इस प्रकार कुल 260 लीटर डीजल तथा 137 लीटर पेट्रोल पाया गया। इनके अलावा 5 लीटर का एक माप, 10 लीटर के 2 माप, लोहे की 2 कीप, प्लास्टिक की 2 कीप तथा एक हस्ताचालित पम्प पाया गया जिनसे पेट्रोल—डीजल माप कर बिक्री करना पाया गया। मो. मुश्ताक ने पूछताछ में बताया कि उक्त पेट्रोल—डीजल स्वयं की गाड़ी के उपयोग तथा ग्राहकों को बेचने बाबत रखा हुआ है। इस प्रकार मो. मुश्ताक द्वारा पेट्रोल—डीजल की बिक्री स्वीकार की गई। पेट्रोल—डीजल के अवैध भण्डारण तथा बिक्री किया जाना पाये जाने पर उक्त कृत्य मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लघंन पाये जाने पर जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है, मौके पर पाया गया उक्त समस्त 260 लीटर डीजल तथा 137 लीटर पेट्रोल मय सभी ड्रमो, बोतलों, 5 लीटर का एक माप, 10 लीटर के 2 माप, लोहे की 2 कीप, प्लास्टिक की 2 कीप तथा एक हस्ताचालित पम्प के जब्त किया गया उक्त जब्तशुदा सामग्री श्री अर्जून राम उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 19 नोहर की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब्तशुदा कुल 260 लीटर डीजल तथा 137 लीटर पेट्रोल मय सभी ड्रमो, बोतलों, 5 लीटर का एक माप,

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

10 लीटर के 2 माप, लोहे की 2 कीप, प्लास्टिक की 2 कीप तथा एक हस्ताचालित पम्प को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 22.03.2024 को दिये जा चुके है। जिसकी पालना में जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा रैफरेंस नं0 7826496 दिनांक 06.06.2024 द्वारा राशि 29032/– राजकोष में जमा करवाई जाकर रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आकर अपना जवाब प्रस्तुत किया।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि घर से जांच के समय प्रवर्तन अधिकारी नोहर द्वारा 260 लीटर डीजल तथा 137 लीटर पेट्रोल मय सभी ड्रमो, बोतलों, 5 लीटर का एक माप, 10 लीटर के 2 माप, लोहे की 2 कीप, प्लास्टिक की 2 कीप तथा एक हस्ताचालित पम्प जब्त किये गये हैं। वाणिज्यिक परिसर में उपकरण व वजन माप रखने का तथ्य सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त उपकरणों से घर में पेट्रोल व डीजल के विक्रय व्यवसाय का निरन्तर कार्य किया गया है। उक्त कार्य राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा सामान राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि दिनांक 19.03.2024 को एक घर मे डीजल पैट्रोल के बेचान की सूचना मिलने पर श्रीमती भार्गवी सांदु, तहसीलदार नोहर मय टीम ने समस्त सामान जब्त किया जाकर आदि तथ्यों पर धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही की गई। अप्रार्थी का संयुक्त परिवार है। अप्रार्थी, उसके चाचा व ताऊ के पास चक 15 बारानी के संयुक्त खाता में कृषि भूमि स्थित है, जिन पर ट्रैक्टर द्वारा खेती की जाती है। अप्रार्थी के भाईयों के पास भी ट्रैक्टर है, खेत में ट्यूबवैल ईन्जन भी लगे हुये है, इसके अलावा अप्रार्थी व भाईयों के पास मोटरसाईकिल व कार है। इस प्रकार अप्रार्थी व भाई कृषक होने के नाते उक्त समस्त सामान मिलना स्वभाविक है। ट्रैक्टर वगैरा में डीजल डालने के लिए माप, कीप, हस्तचालित पम्प, प्लास्टिक ड्रम की आवश्यकता रहती है, इसके अलावा अप्रार्थी ईन्ट भट्टा पर ठेका पर ईन्ट भरवाई का काम करता है। ईन्ट भट्टा पर लेबर को लाने व ले जाने के लिए बौलेरो कैम्पर का उपयोग करता है। उक्त पैट्रोल व डीजल, प्रार्थी व उसके भाईयों के निजी उपयोग व उपभोग हेतु ही खरीद कर लाया गया है। पैट्रोल व डीजल की प्रार्थी व उसके भाईयों को आवश्यकता रहती है, यदि अप्रार्थी पैट्रोल व डीजल का बेचान करता तो उसके पास रजिस्टर भी प्राप्त होता लेकिन मौका पर ऐसा कोई भी रजिस्टर नही मिला और ना ही अप्रार्थी से कोई पैट्रोल व डीजल खरीद कर लेकर गया है ऐसी भी साक्ष्य पत्रावली पर नही है, मौका पर कार्यवाही के समय आस पडौस व स्वतंत्र गवाह भी तलब नही किये गये है। राज्य सरकार की अधिसूचना अनुसार 1000 लीटर डीजल व्यापारी से भिन्न व्यक्ति एक समय में अपने कब्जे में रख सकता है तथा पैट्रोल की मात्रा 137 लीटर तक है, उक्त पैट्रोल व डीजल प्रार्थी व उसके भाईयो के द्वारा एक कमरा में रखा हुआ था, उनके निजी उपयोग व उपभोग के लिए लिया हुआ था। उक्त डीजल व पैट्रोल नोहर पैट्रोल पम्प से खरीद कर अपने कृषि यन्त्रो व वाहनो के निजी उपयोग के लिये लाया हुआ है। अप्रार्थी ने कानून की अवहेलना नही की है और ना ही राज्य सरकार की अधिसूचना का उल्लंघन किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

निवेदन किया कि अप्रार्थी के खिलाफ धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अप्रार्थी से तलाशी के दौरान, घर से जांच के समय प्रवर्तन अधिकारी नोहर द्वारा जब्तशुदा कुल 260 लीटर डीजल तथा 137 लीटर पेट्रोल मय सभी ड्रमो, बोतलों, 5 लीटर का एक माप, 10 लीटर के 2 माप, लोहे की 2 कीप, प्लास्टिक की 2 कीप तथा एक हस्ताचालित पम्प जब्त किये गये हैं। वाणिज्यिक परिसर में उपकरण व वजन माप रखने का तथ्य सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त उपकरणों से दुकान में पेट्रोल, डीजल के विक्रय, कारोबार का निरन्तर कार्य किया गया है। इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण जब्ती कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे तथा ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी नोहर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा कुल 260 लीटर डीजल तथा 137 लीटर पेट्रोल मय सभी ड्रमो, बोतलों, 5 लीटर का एक माप, 10 लीटर के 2 माप, लोहे की 2 कीप, प्लास्टिक की 2 कीप तथा एक हस्ताचालित पम्प जिसका अन्तरिम निस्तारण कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2024 की पालना में नियमानुसार निस्तारण कर राशि 29032/–जरिये चालान सं0 90249306 दिनांक 05.06.2024 द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गयी है, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

(काना राम आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner